राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी

20/198, कावेरी पथ, सैक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 24(1)(1)( )/बाअवि/सारा/दिशा–निर्देश/2015/15845–. जयपुर, दिनांक 31/7/15

आदेश

विषयः– राजकीय एवं गैर राजकीय बाल/आश्रय गृह में आवासरत शिशुओं/बच्चों के पारिवारिक पुनर्वास के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 41(4) के अन्तर्गत अनाथ, परित्यक्त, समर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु समस्त जिलों में राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी कार्यरत है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के नवीन दिशा–निर्देश "बालकों के दत्तक ग्रहण को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्वान्त, 2015" के उद्देश्यों के मध्यनजर प्रत्येक जिले में संचालित राजकीय/गैर राजकीय मान्यता प्राप्त बाल/आश्रय गृहों में आवासरत अनाथ, परित्यक्त, समर्पित बालक–बालिकाओं की समुचित देखभाल एवं सर्वागींण विकास हेतु स्थाई पारिवारिक देखभाल उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है।

बालकों के दत्तक ग्रहण को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्वान्त, 2015 के बिन्दु संख्या 34(च) की पालना में प्रत्येक जिले में संचालित राजकीय/गैर राजकीय मान्यता प्राप्त बाल/आश्रय गृहों को उनके गृह में आवासरत अनाथ, परित्यक्त, समर्पित बालक–बालिकाओं के दत्तक ग्रहण हेतु उन्हें संबंधित जिले की राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी (राजकीय बाल गृह/बालिका गृह) से लिंक किया जाता है।

संबंधित राजकीय/गैर राजकीय मान्यता प्राप्त बाल/आश्रय गृह की जिम्मेदारी होगी कि वे उक्त श्रेणी के बच्चों की सूचना नियमित रूप से संबंधित राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी को देगें। एजेन्सी द्वारा इस संबध में एक पंजिका संधारित की जायेगी, जिसमें उक्त गृहों में आवासरत अनाथ, परित्यक्त, समर्पित बालक–बालिकाओं का विवरण संधारित किया जायेगा। एजेन्सी यह भी सुनिश्चित करेगी कि संबंधित गृह में आवासरत बच्चे निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप संबंधित बाल कल्याण समिति के माध्यम से दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र हो।

राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी द्वारा अधिनियम के प्रावधान एवं कारा के नवीन दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त श्रेणी के बच्चों के दत्तक ग्रहण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। सभी जिला बाल सरंक्षण इकाई द्वारा जिले में उक्त दिशा–निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावें।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव एवं
सचिव, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी

क्रमांकः एफ. 24(1)(1)( )/बाअवि/सारा/दिशा–निर्देश/2015/15846-16144 जयपुर, दिनांकः 31/7/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला बाल संरक्षण इकाई, ...।
4. अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति, ...।
5. समस्त सहायक निदेशक, समस्त जिला बाल सरंक्षण इकाई,..................................।
6. अधीक्षक, राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी/राजकीय किशोर गृह/बालिका गृह/शिशु गृह, बाल अधिकारिता विभाग,..।
7. अधीक्षक/सचिव/प्रभारी, मान्यता प्राप्त बाल गृह/शिशु गृह/आश्रय गृह,..।
8. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (सारा)